

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2018, लखनऊ, दिनांक : 30 अक्टूबर-2018,

-:: आदेश:-

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-मुजफ्फरनगर के पत्रांक-236/18 दिनांक 26.10.18 पर सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन मुजफ्फरनगर पीठ के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 26.11.18 से 29.11.18 तक के लिए सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम गाजियाबाद (न्याय0) व सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण मुजफ्फरनगर को सम्मिलित करते हुए खंड पीठ गठित की जाती है।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0-30.10.18

(प्रेम कला सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/2266/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम गाजियाबाद।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-मुजफ्फरनगर।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 4-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 5-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।